संख्या– 1348 /नौ–1–सिं0 (39 योजना/03)/04

प्रेषक,

वी0 आर0 टम्टा,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
लघु सिंचाई, मण्डल,
पौड़ी।

सिंचाई विभाग

देहरादून दिनांक 06.4.04

विषयः– **ए0आई0बी0पी0 के अन्तर्ग लघु सिंचाई की नहरों एकल एवं सामुदायिक योजनाओं की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके के पत्र 681/ल0सि0/ ए0आई0बी0पी0/03–04 दिनांक 11.03.2004, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0 3179/नौ–1–सिं0/2002 दिनांक 27.11.2002 के क्रमांक–95 पर अंकित सामुदायिक सिंचाई योजना विन्यालीसौड़, में सम्मिलित **सामुदायिक सिंचाई योजना नकचूली बौलविटा मुडरा सैरा** उप योजना को संशोधित करते हुए रू0 16,37,800.00 (रूपय सोलह लाख सैंतीस हजार आठ सौ मात्र) के आगणन के विपरीत टी0 ए0 सी0 की संस्तुति के अनुरूप रू0 16,20,000.00 (रूपय सोलह लाख बीस हजार मात्र) के लागत के आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :–

1– उक्त लागत के विपरीत शासनादेश दिनांक 27.11.2002 के क्रमांक–95 पर स्वीकृत की गई योजना हेतु स्वीकृत/अनुमोदित रू0 8.22 लाख की लागत है। अतः ए0आई0बी0पी0 के अन्तर्गत अब योजना की उक्त प्रस्तावित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के विपरीत रू0 8.22 लाख (रूपय आठ लाख बाईस हजार मात्र) की धनराशि ए0आई0बी0पी0 के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से व्यय की जायेगी और योजना की शेष लागत विभाग की अन्य योजनाओं की बचतों से शासन की स्वीकृति से ही किया जायेगा।

2– योजनाओं का कार्य कराते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स तथा शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत अन्य आदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

3– अधीक्षण अभियन्ता सभी योजनाओं का स्थल निरीक्षण कर स्थलीय आवश्यकतानुसार कार्य प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित करें।

4– अधीक्षण अभियन्ता का दायित्व होगा कि कार्यों को सम्पादित कराने से पूर्व आगणन में ली गयी लीड, दूरी आदि का सत्यापन करें तथा आगणन में ली गयी दरों का पुनः परीक्षण करा लें ताकि किसी दर में कोई भ्रान्ति उत्पन्न न हो।

क्रमशः.....2

5– कार्य कराने से पूर्व परियोजनाओं के विस्तृत मानचित्र आगणन गठित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लें, तदोपरान्त ही कार्य करायें।

6– कार्य सम्पादित कराते समय लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों का पालन करना सुनिश्चित किया जाय तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय।

7– इस योजना में अतिरिक्त धनराशि का वित्त पोषण अन्य योजनाओं में उपलब्ध बचतों से किया जायेगा। इस शासनादेश के द्वारा योजना के लिए केवल प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

8– धन की उपयोगिता का प्रमाण–पत्र कार्यवार व्यय विवरण के साथ उपलब्ध कराया जाय।

9– योजना के क्रियान्वयन के समय ए0आई0बी0पी0 की योजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकरर के निर्देशो का अनुपालन किया जाय।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 3581/विअनु–3/2004 दिनांक 01 अप्रैल 2004में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(बी0 आर0 टम्टा)
उप सचिव।

संख्या– 1349 /नौ–1–सिं0 (39 योजना/03)/04तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सीनियर ज्वाईट कमीश्नर (एम0आई0) जल संसाधन मन्त्रालय 108 बी0 शास्त्री भवन नई दिल्ली।
2– महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, देहरादून।
3– मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग उत्तरांचल ।
4– वित्त अनु–3, उत्तरांचल शासन।
5– कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
6– मा0 सिंचाई मंत्री जी के निजि सचिव को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
7– नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
8– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र देहरादून।
9– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जल सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

(बी0आर0टम्टा)
उप सचिव।